तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 31/2022 झीपाराम वगै. बनाम मूलाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 01.02.2023

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा
2. विप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील प्रार्थी अपीलांट द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 23.12.2022 को न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.12.2022 को उक्त अपील को पुनः बरामद करने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सी पी सी का प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण में अपीलांटस अधिवक्ता बालोतर गये थे किन्तु न्यायालय श्री में उपस्थित नहीं हो पाये किन्तु अपीलांटस ईश्वरराम पुत्र रूगनाथराम जो न्यायालय श्री आया था तथा न्यायालय के आगे बेठा रहा तथा श्रीमान से भेट नहीं कर पाया। इस दोरान उक्त पत्रावली को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। उक्त प्रकरण में दोनो पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज किया गया। मूल अपील में उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है इसलिए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः पुराने नंबर 152/2022 पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इज लाश दिनांक 01.02.2023 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर